न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

पुनर्विलोकन प्र0 क0 1131–एक/2009 विरूध्द आदेश दिनांक 28–02–08 पारित राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर प्रकरण कमांक निग. 1643–एक/2007.

गोबिन्द सिंह तनय चतुरसिंह.
निवासी बसारी, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर, म0प्र0

--- आवेदक

विरूध्द

मध्यप्रदेश शासन व्दारा कलेक्टर,
छतरपुर

-- अनावेदक

श्री आर0डी0 शर्मा, अभिभाषक – आवेदक
श्री एच0के0 अग्रवाल, पैनल अभिभाषक– अनावेदक शासन

आदेश

(आज दिनांक 23.6.2014 को पारित)

यह पुनर्विलोकन का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के अन्तर्गत राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर के निगरानी प्रकरण क0 1643–एक/2007 में पारित आदेश दिनांक 28–02–08 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आवेदक गोबिन्दसिंह को ग्राम बसारी स्थित भूमि ख0नं0 3030 रकबा 2.023 हे. पर भूमिस्वामी अधिकार नायब तहसीलदार ने अपने आदेश दिनांक 29–10–87 को प्रदान किये। नायब तहसीलदार के प्रकरण की अनियमितताओं की जानकारी कलेक्टर को प्राप्त होने पर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी में पंजीबध्द किया और आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपने आदेश दिनांक 31–01–03 व्दारा नायब तहसीलदार का आदेश निरस्त किया और प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत शासन के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी आयुक्त, सागर संभाग ने अपने आदेश दिनांक 05–06–06 व्दारा खारिज की। राजस्व मण्डल ने आवेदक का निगरानी आवेदनपत्र अपने आदेश दिनांक 28–02–08 व्दारा खारिज किया। अतः आवेदक व्दारा यह पुनर्विलोकन आवेदनपत्र राजस्व मण्डल में प्रस्तुत किया गया है।

3/ मैंने उभय पक्ष के विव्दान अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया तथा उपलब्ध के अभिलेख का अवलोकन किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि राजस्व मण्डल ने अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख तलब किये बिना एवं उसका परीक्षण किये बिना निगरानी खारिज की गयी है जो अभिलेख से दर्शित त्रुटि है। उनका यह भी तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि भूमिस्वामी अधिकारों में व्यवस्थापित करने की पात्रता है या नहीं, इसका विनिश्चय अभिलेख तलब किये बिना एवं उनका परीक्षण किये बिना नहीं किया जाना चाहिये था। उनका तर्क है कि पिता की भूमि का कल्पित बटवारा करने पर पिता की भूमि में से आवेदक को नाम मात्र की भूमि प्राप्त होगी, इसलिये आवेदक को भूमिहीन नहीं मानने में भूल की गयी है। उनका तर्क है कि आयुक्त व्दारा आदेश की संसूचना नहीं दी गयी। आयुक्त के आदेश के जानकारी होने पर समयावधि में निगरानी राजस्व मण्डल में

प्रस्तुत की गयी है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन स्वीकार करने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदक शासन के पैनल अभिभाषक का यह तर्क है कि आवेदक उस ग्राम का निवासी नहीं है, जहाँ भूमि स्थित है तथा आवेदक के पिता के नाम भूमिस्वामी स्वत्व में 4.836 हे. भूमि है। आवेदक व्दारा स्वयं शपथपत्र में अपनी आयु 20 वर्ष दर्शायी है जिसके आधार पर आवेदक को नाबालिग मानने में कोई भूल नहीं की गयी है। उनका तर्क है कि पुनर्विलोकन का कोई आधार नहीं है। अतः उन्होंने पुनर्विलोकन निरस्त करने का अनुरोध किया।

5/ आयुक्त, सागर संभाग ने निगरानी में यह निष्कर्ष निकाला है कि आवेदक के पिता के नाम कुल रकबा 4.836 हे. भूमि है। आवेदक व्दारा जो शपथपत्र दिया गया है उसमें अपनी आयु 20 वर्ष बतायी है, इस कारण आयुक्त ने वर्ष 1987 में आवेदन प्रस्तुत करने के समय उसकी आयु 13 वर्ष से कम होना माना है। आयुक्त ने अपने आदेश में आवेदक गोबिन्दसिंह व्दारा आवेदन प्रारूप 'क' में प्रस्तुत आवेदनपत्र में स्वयं को ग्राम टुरया का निवासी बताया है, जबकि उसी ग्राम का निवासी होना चाहिये। अतः आयुक्त व्दारा आवेदक की निगरानी खारिज की गयी है। राजस्व मण्डल ने अपने आदेश दिनांक 28–02–08 व्दारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने तथा निगरानी समयावधि बाह्य होने से खारिज की गयी है। म0प्र0 कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना, विशेष उपबन्ध अधिनियम, 1984 (जिसे आगे केवल अधिनियम 1984 कहा जायेगा) की धारा 3(2) में यह प्रावधान है कि –

"(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात तब तक लागू नहीं होगी जब तक कि उस कृषक श्रमिक के कब्जे में भूमि वाले गॉव में वह नहीं रहता हों और उसके परिवार का कोई सदस्य किसी भूमि को धारण करता हों।

स्पष्टीकरण–उपधारा (2) के आशयों के लिये परिवार में स्त्री, बच्चे, माँ बाप और अन्य कोई आश्रित व्यक्ति शामिल माना जायेगा।''

उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि अधिनियम 1984 के अन्तर्गत उस व्यक्ति को भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं माना जा सकता जो कब्जे वाली भूमि के ग्राम में निवास नहीं करता हों तथा उसके परिवार में कोई सदस्य भूमि धारण करता हों। परिवार में माँ बाप को भी शामिल माना गया है। विव्दान आयुक्त ने आवेदक व्दारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत आवेदनपत्र के आधार पर उसे ग्राम टुरया का निवासी होने से ग्राम बसारी की भूमि व्यवस्थापन का पात्र नहीं होना माना है तथा आवेदक के पिता के पास कुल रकबा 4.836 हे. भूमि होने से निगरानी खारिज की है। संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाहियों की नियमितता के संबंध में निष्कर्ष निकाला जाता है। आवेदक व्दारा कलेक्टर व्दारा की गयी स्वमेव निगरानी की कार्यवाही में अनियमितता संबंधी कोई आपत्ति निगरानी में प्रस्तुत नहीं की गयी और ना ही इस संबंध में राजस्व मण्डल व्दारा निष्कर्ष निकाला गया है, इसलिये अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख आहूत नहीं किये जाने से राजस्व मण्डल का आदेश त्रुटिपूर्ण होना मान्य नहीं किया जा सकता। आयुक्त व्दारा तथ्य के संबंध में निकाले गये निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत है, यह भी आपत्ति आवेदक व्दारा ना तो निगरानी में उठायी गयी और ना ही पुनर्विलोकन में प्रस्तुत की गयी है और ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। ऐसी दशा में प्रश्नाधीन भूमि की आवेदक को अधिनियम 1984 के अन्तर्गत व्यवस्थापन की पात्रता नहीं होने से राजस्व मण्डल व्दारा निगरानी खारिज करने में कोई भूल या त्रुटि नहीं की गयी है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन ग्राह्य करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनर्विलोकन आवेदन खारिज किया जाता है। राजस्व मण्डल का आदेश दिनांक 28–02–2008 यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0